

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक .03.2016

क्रमांक /एफ 17-1/19/बी/2010 राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग मे आई.सी.आई.सी.आई लिमिटेड बैंक के लिखिते (Instrument) मान्य करने के संबंध मे म0प्र0 शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा अपर नर्मदा जोन जबलपुर को आई.सी.आई.सी.आई बैंक हैदराबाद शाखा द्वारा बैंक गारंटी के प्रति संग्रहण हेतु भुगतान की कार्यवाही नही किये जाने के फलस्वरूप लिये गये निर्णय दिनांक 28.10.2015 के अनुक्रम मे लोक निर्माण विभाग के अतर्गत निविदाओं मे आई.सी.आई.सी.आई बैंक द्वारा जारी लिखिते (Instrument) को भविष्य मे मान्य नही किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल )

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय

भोपाल दिनांक 03.03.2016

पू. क्रमांक /एफ 17-1/19/बी/2010/250  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल।
2. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0भोपाल।
3. मुख्य अभियंता म0प्र0 सडक विकास निगम भोपाल।
4. समस्त, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (.....)
5. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. (.....)
6. प्रबंध संचालक कार्यालय, आई सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड, यादव पटेल लेन, चन्द्रकांत धुरु वार्डी दादर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400028
7. आई.टी. सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल आदेश को बेवसाईट पर डाले जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव 03/03/16

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

03/03/16

ए.ए.ए. (Peg)  
SE (G)  
8/3/16

03/03/16

14/03

की.ए.ए.ए./AAO

14/03

221457

14/3/16

14/3/16